INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 02 | January – March 2018

तीन तलाक एक विवेचन : महिला सशक्तिकरण की दिशा मे बढ़ता कदम

Mrs. Priyanka Purohit, Research Scholar, Mewar University, Chittorgarh, Rajasthan

Dr. Sonia Sharma,Assistant Professor, Department of Political Science, H.H. Maharaja Hanwant Singh Memorial Girls College, Jai Narain Vyas University, Jodhpur, Rajasthan.

परिचय

ISSN 2454-308X
9 770024 543081

22 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शायरा बानो के केस में अपने ए क महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनका जायज हक प्रदान करने के लिए समाज मे प्रचलित तीन तलाक की प्रथा को संवैधानिक करार देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त सन्देश दिया है। विशेषकर भारतीय मुस्लिम समाज मे तीन तलाक का दण्ड भोगने वाली महिलाओं की दुर्दशा और उनके दर्द का अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। विश्व के अनेक इस्लामी देश जिसमें सऊदी अरब, मलेशिया, अफगानिस्तान, अलबेरिया, अलगेरिया, बांग्लादेश, ईरान, ईराक, कुवेत, पाकिस्तान, तुर्कीं मिश्र आदि देशों मे तीन तलाक बहुत पहले से ही अवैध करार दिया जा चुका है। और इन देशों की महिलाएँ इस कुढ़तम प्रथा से मुक्ति पा चुकी है। जबकि भारत जैसे धर्म –निरपेक्ष व प्रजातान्त्रिक देश की मुस्लिम महिलाओं को लम्बे समय तक इस लाचारी व प्रताड़ना से जुझना पड़ा इस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में यह विवाह विच्छेद के विषय में जहां संविधान में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने का अधिकार प्रदत्त है। वही आजादी के सत्तर वर्शो बाद भी मुक्त होने को अभिशप्त है। एक मुस्लिम महिला को इस अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी कुछ मोलवियों व धर्म गुरू इस फैसले से असहमत है। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते है तो हिन्दू समाज में भी सती प्रथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा थी जिसे राजाराम मोहनराय ने समाप्त करने की पहल की और सरकार को भी कानून बनाना पडा। पाकिस्तान ने 1961 में व बांग्लादेश मे अपने उदय के बाद तीन तलाक को तलाक बोल दिया। इस प्रथा की खातमे की पहल करने वाला मिश्र पहला देश था। तुर्की, ईरान, अल्जिरिया, मलेशिया, ट्यूनिशिया सहित 22 देशों मे इस पर मूमानियत लागू हैं। भारत में देर से ही सही पर सटीक फैसला हुआ है और यह कहा जा सकता है कि शायरा, अतिया वतिया सहित मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का कारवां रूकने वाला नही हैं।
इस दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम है। जो भविष्य में मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

तीन तलाक एव शरियत कानून

दरअसल खुद इस्लाम के पाक व इंसाफी नजरिये में आदमी औरत बराबर है। और सब मामलो में शरीयत कानून की मान्यता है तो फिर एक झटके में तीन तलाक बोलकर उसका मखौल कैसे उड़ाया जा सकता है। इसी कुप्रथा के अंतर्गत एक और कुप्रथा का ज़िक्र आता है जिसका नाम है हलाला जिसमें तलाक के पश्चात् मुस्लिम पुरूष उसी महिला को यदि दुबारा पाने की चाहत रखता है तो शरीयत के कानून की दुहाई देकर उसे दूसरे मर्द के साथ निकाह के लिए मजबुर किया जाता है। जो ओर भी अत्यधिक गम्भीर प्रश्न है जो सरासर भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल– अधिकारों का उल्लंघन है जब निकाह के समय में

शौहर व बीवी के बीच रजामन्दी की जरूरत होती है तो फिर तलाक के वक्त क्यों नहीं। शरीयत कानून के तहत एक मुस्लिम पुरूष को चार विवाह की इजाज़त देता है
वही तीन तलाक हलाला इत्यादि मान्यताओं को सर्मपण देता है। तलाक और हलाला की प्रथा मुस्लिम समाज की औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ है।

मुस्लिम देश में तीन तलाक के प्रावधान

तीन तलाक एक ऐसी प्रथा है जिसमें मुस्लिम पुरूष अपनी पत्नी को तीन बार तलाक शब्द बोलकर, लिखकर या किसी भी माध्यम से भेजकर अपनी पत्नी से विवाह–विच्छेद कर लेता है इस्लाम में पहला तलाक अल–सुन्नाम, जिसे पैगम्बर मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक तथा दूसरा तलाक अलबिद्दत से ईजाद किया गया है कुरान में सीधे तौर पर तीन तलाक का कोई जिक्र या पैगम्बर मोहम्मद के कथन का कोई जिक्र नहीं होने से यह कहा जा सकता है कि कुरान में सिर्फ एक बार तलाक बोलने से ही तलाक होने का जिक्र है जिसके तहत विवाह को रद्द किया जा सकता है।

इस प्रथा में यह भी उल्लेखनीय है कि लिखकर या बोलकर तलाक देते समय ना तो बीवी का वहॉ उपस्थित होना जरूरी नही है और ना ही कोई वजह बताने की भी आवश्यकता है। ऐसे तलाक से पुरूषों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं होता है। कुरान के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तलाक को न करने लायक कृत्य बताते हुए इसकी प्रक्रिया को काफी कठिन बनाया गया है। जिसमें रिश्ते को बचाने के लिए आखरी दम तक कोशिश पति .पत्नी के बीच संवाद दोनों के परिजनों के बीच रिश्ते को बचाने के लिए बातचीत और इस प्रक्रिया को तीन महिने के लम्बे समय में बांधना शामिल है लेकिन आज के दौर में पुरूषों ने कुरान में वर्णित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधा तरीका अपनाकर तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण करके वह इस रिश्ते को खत्म करने लगे है। मुस्लिम समाज के रहनुमा मोलवियों ने भी कभी इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की न इसे गलत बताया परिणामस्परूप तीन तलाक व बहुविवाह जैसी कुप्रथाएं मुस्लिम बहनों के लिए एक त्रासदी बन चुकी थी।

भारत में तीन तलाक एवं महिला शोषण

तीन तलाक एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें मुस्लिम पुरूष अपनी पत्नी को तीन बार तलाक शब्द बोलकर, लिखकर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजकर अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है जबकि महिलाओं पर बच्चों की जिम्मेदारी व गुजारा करने के लिए आर्थिक साधन जुटाना, आवास सुविधा सहित कई विपदाएं उस महिला के सामने आ जाती है यही कारण है कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं डर के मारे बिना बगावत किए अपनी जिन्दगी गुजार देती है तथा भारतीय संविधान के तहत अधिकारों से वंचित रह जाती है।

शाहबानो बनाम शायरा बानो

तीन तलाक की शिकार इंदोर की शाहबानो 1985 में गुजारा भत्ता की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोर्ट उनके पक्ष मे फैसला सुनाया तो तत्कालिन सरकार इस फैसले को खारिज करने पर तुल गई और एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। इस फैसले के निष्प्रभावी होने का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम समाज ने सामाजिक सुधारों और तलाकशुदा महिलाओं की बेहतरी के बारे मे सोचना ही बंद कर दिया। 31 वर्ष पहले शाहबानो के साथ इस नाइंसाफी मे सत्तापक्ष समेत कई राजनीति दल शामिल थे। उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो को 2015 में पति ने जबरन मायके भेजा और तीन तलाक

सुना दिया। 2016 मे वह न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तीन तलाक के साथ साथ बहुविवाह व निकाह हलाला की भी चुनोती दी हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर ही फैसला सुनाया है ।

1985–86 में जो शाहबानों को हासिल नही हुआ वह 2017 में शायरा बानो सहित तीन तलाक की शिकार अनेक महिलाओं को हासिल होने जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं का केवल तलाक का मसला ही नही बल्कि इज्जत से जिन्दगी बसर करने लायक समानता और आत्मनिर्भरता का मामला भी है। अदालत ने सिर्फ तीन तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाई है । शेष मुद्दों पर कानूनी प्रक्रियाएं अपना काम करेगी तभी घर के भीतर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति मजबूत हो पायेगी।

शायरा बानो मुख्य याचिका कर्ता ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमें मुस्लिम सम्प्रदाय में महिलाओं की स्थिति को समझना चाहिए इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कानून बनाया जाना चाहिए। तीन तलाक खत्म होते ही हलाला भी खत्म हो जाएगा शरीयत मे तीन तलाक है लेकिन एक साथ नहीं। हर तलाक के बाद कुछ समय पति और पत्नी दोनों को मिलता है। जिससे दोनो सुधार लाकर परिवार चला सके।

– शाइस्ता अम्बर

तीन तलाक संवैधानिक आधार

कानून के इस दौर में शायरा बानों नामक एक मुस्लिम महिला ने एक साहसिक कदम उठाते हुए 23 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिये जाने वाले तलाक ए बिद्दत यानि तिहरे तलाक, हलाला और बहु विवाह को गैर कानूनी व असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगायी। तलाक का यह जरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कानूनी कहा जाता है जिसे माननीय हको का उल्लंघन मानने की बजाय अधिकार प्रदत्त माना जाता है।

इस संदर्भ मे तस्लीमा नसरीन ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कट्टरपंथी मुस्लिमों का संगठन है। जो तीन तलाक का समर्थन करता है उस संगठन को खत्म किया जाना चाहिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कभी इस प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है इस पर शायद कभी गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है। यह प्रश्न आमजन के मन में उठना स्वाभाविक है कि तलाक की यह कुप्रथा आखिर किसलिए है? जिसका परिणाम है कि तलाक के मामले को बहुत ज्यादा तर्जी मिलने के समाचार निर्मित रूप से समाचाार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सामने आते रहते है ऐसे प्रकरणों में स्पीड पोस्ट, व्हाट्स अप इत्यादि जरियों से अजीबो –गरीब तर्क देकर तलाक देने के प्रकरण भी सामने आये है जिसके कारण यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से समाज के समाने खड़ा होता है कि आखिर तलाक देने के लिए अलग–अलग रास्ते अख्तियार करने की क्या जरूरत है। क्या कोई पुरूष अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं रह सकता या तलाक को महज अपने शारिरिक आनन्द के लिए उपयोग किया जा रहा है। देश के विभिन्न मजहबी आन्दोलन करने की बात करने वाले इन महिलाओं को इनका असली हक दिलाने के नाम पर आखिर क्यों मौन हो जाते है।

भारत में सत्ता के कर्णधारों को भी मुस्लिम महिलाओं के दुख को समझने और उससे निजात दिलाने में कभी कोई दिल चस्पी नही रही ऐसा प्रतीत होता है कि आजाद भारत में इन कर्णधारों का उद्देश्य तो बस मुस्लिम समाज के वोट–बैंक तक ही सीमित रहा है यहीं कारण रहा है कि अपनी बेटियां बचाने के लिए खुद महिलाओं को आगे आना पड़ा और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट उनके दर्द को समझकर इस अमाननीय रिति को बन्द करने की बात कही।

1951 में मुम्बई हाईकोर्ट ने एक फैसले में दीवानी विषयों पर मुस्लिम समाज के व्यक्तिगत कानून को संवैधानिक दृष्टि से चुनौती नही दी जा सकती है। तब समाज के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अपराध कानुनों को भी उसी प्रकार मान्यता क्यों नहीं दी गयी क्योंकि संविधान के निर्देशित तत्वों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि दीवानी मामलो में एक ही तरह का कानून सभी नागरिकों के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को दुरस्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

जहां तक भारतीय संविधान का प्रश्न है अनुच्छेद 14,15, व 21 के तहत एक मुस्लिम महिला को अन्य धर्म की महिलाओं की तरह अपने परिवार में सुख व बराबरी से रहने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन धर्म के ठेकेदार अपने अहम की संतुष्टि और पुरूषवादी सोच के चलते उससे यह अधिकार छिन लेते है।

निष्कर्ष

देश के सबसे जटिल सामाजिक मुद्दों में से एक तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान में तीन न्यायधीष जस्टिस कुरीयन जोसफ, जस्टिस नरीमन और जस्टिस यूय ललित ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। जिन दो न्यायाधीश ने तीन तलाक को असंवैधानिक नहीं माना, उन्होने भी इसे गलत माना, लेकिन इस मामले में संसद द्वारा कानून बनाने की राय रखी। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। यह प्रथा बिना कोई मौका दिए शादी को खत्म कर देती है। कोर्ट ने मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पर लगे बैन का जिक्र किया और पूछा कि भारत इससे आजाद क्यो नही हो सकता?

तीन न्यायाधीश के बहुमत इस फैसले का मतलब यह है कि कोर्ट की तरफ से इस व्यवस्था को खारिज किया गया है। 21वीं सदी में समान मानवीय अधिकारो की ओर अग्रसर होना सशक्तिकरण की प्रमुख आवश्यकता हैं।

तीन न्यायधीष के अनुसार– ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारो का उल्लंघन करता है और साथ ही उन्हें इस मनमाने अपरिवर्तनीय तलाक के अधीन करता है। जस्टिस कुरियन जीसेफ, जस्टिस नरीमन , जस्टिस उदय यू ललित (न्यायधीश)

दो न्यायधीष के कथन से – ट्रिपल तलाक मुस्लिमो के मौलिक अधिकार का हिस्सा है ये अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में है, असंवैधानिक नही मान सकते चीफ जस्टिस जे एस खेहर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर अंत में– इस फैसले को किसी एक पक्ष जीत अथक हार के रूप में देखने की बजाय समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के रूप में जरूरत है यह धर्म से जुड़ा मुद्दा नही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के महत्वपूर्ण बिन्दू :–

एक साथ तीन तलाक असंवेधानिक सुप्रीम कोर्ट ने 3–2 के बहुमत से सुनाया फैसला।

1 तीन तलाक पर 6 महिने की रोक।

2 मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा ये 1400 साल पुरानी प्रथा और मुस्लिम धर्म का अभिन्न हिस्सा कोर्ट नही कर सकता रदद।

3 जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आर ए एफ नारिमन और जस्टिस यूयू ललित ने एक बार मे तीन तलाक को असंवेधानिक ठहराया और इसे खारिज कर दिया।

4 तीनो न्यायधीश ने 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया न्यायधीष ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है।

5 अगर 6 महिने के अंदर तीन तलाक पर कानून नही लाया जाता है तो तीन तलाक पर रोक जारी रहेगी।
6 जस्टिस नजीर और चीफ जस्टिस खेहर ने नही माना था असंवैधानिक। तीन तलाक धार्मिक प्रेक्टिस है। इसलिए कोर्ट इसमें दखल नही देगा। दोनों ने कहा तीन तलाक पर 6 महिने का स्टै लगाया जाना चाहिए। इस बीच में सरकार कानून बना ले और 6 महिने में कानून नही बनता है तो स्टे जारी रहेगा हालांकि दोनों न्यायाधीश ने इसे पाप माना है।

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऑल इण्डिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दलील दी कि तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा नही है और कुरान में तीन तलाक का कहीं भी जिक्र नही है और भारत सरकार ने न्याय पालिका के समक्ष कहा कि पर्सनल लॉ धर्म का हिस्सा नहीं है और न्याय पालिका को संविधान के दायरे में विचार करना चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाओं को मौलिक अधिकार प्रदान किये जा सकें।

वर्ष 1985 के शाहबानों प्रकरण के बाद से आज तक मुस्लिम महिलाओं को उनके जीवन अधिकार के सन्दर्भ में सुना ही नहीं गया व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी किसी भी सुधार को हर प्रयास को रोकने की कोशिश की जबकि स्पष्ट रूप से तीन तलाक की व्यवस्था कुरान की हिदायतों के विपरीत और गैर इस्लामिक थी। जिससे यह स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के बहस पर कट्टरपंथी पुरूषों ने कब्जा जमा रखा है। ऐसे समय में पांच अलग–अलग धर्मो से संबंध रखने वाले जजों ने जिसमें कोई भी महिला जज नहीं थी ने मुस्लिम महिलाओं से जुडे इस महत्वपूर्ण मसले पर अपनाा फैसला सुनाया जिससे मुस्लिम महिलाएं राहत की सांस लेने के साथ –साथ बराबरी का हक मिलने से भयमुक्त जीवन जी सकेगी। महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में यह सन्देश स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति ;मुस्लिम पुरूषद्ध तीन तलाक शब्द बोलकर मुस्लिम महिला की पारिवारिक जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं कर सकेगा क्योकि भारतीय संविधान एवं न्यायपालिका उनकी रक्षक है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया उससे यही लगता है कि अब एक इंसाफी कानून बनाने में कोई अड़चने नही आऐगी। जिस शोषण से खुद धर्म को घृष्णा हो, दुनिया के 22 से अधिक मुस्लिम देश जिस प्रथा को न मानते हो उसको आखिर भारत जैसे देश में चलन में क्यो रहना चाहिए? जब सर्वोच्च अदालत ने मान लिया है कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की समानता के अधिकार और इस्लाम के खिलाफ है तो तीन तलाक के पक्षधरो को इस फैसले को सहज स्वीकार
कर लेना चाहिए। हर प्रथा या व्यवस्था वक्त के साथ जायज परिर्वतन की शर्त पर जिन्दा रहती है। और आज यही हो रहा है।

मुस्लिम महिलाओं यह केवल तलाक का मसला नही बल्कि इज्जत से जिन्दगी बसर करने लायक समानता और आत्मनिर्भरता का मामला भी है। अदालत ने सिर्फ तीन तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाई है । शेष मुद्दों पर कानूनी प्रक्रियाएं अपना काम करेगी तभी घर के भीतर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति मजबुत हो पायेगी।

लम्बी बहस और तर्क वितर्क के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है जिसका सरार से लेकर आमजन ने स्वागत किया है। महिला उत्थान के रास्ते मे आने वाली सभी बाधाओं के दिशा मे नये शिरे से पहल करने की जरूरत है ताकि बिना गतिरोध के समाधान निकल सके। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारो की सुनिश्चित करने के साथ ही बेहतर भारत समान भारत के विषय मे बडा कदम हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुस्लिम समाज में सुधार आन्दोलन शुरू करने व मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। बेहतर देश व समाज के निर्माण के लिए मुस्लिम ही नही सभी धर्मो के लिए हर तरह की कुप्रथाओं से मुक्ति आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

मुस्लिम विधि . अकिल अहमद टी.सी. जैन ए. मुकेश अग्रवाल ए पारस दीवान
मुस्लिम लॉ . मुल्ला
भारत का संविधान .जय नारायण पाण्डेंय
राजस्थान पत्रिका . जय प्रकाश
सुप्रीम कोर्ट **website** तसलीमा नसरीन